"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 22, शक 1928

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक /5195/209/2006/14-3.—निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें राज्य सरकार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (छह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उन समस्त व्यक्तियों की जिनके की उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि उक्त प्रारूप नियम पर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के अवसान होने के पश्चात् विचार किया जायेगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व सचिव छ. ग. शासन कृषि विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय, रायपुर कक्ष क्रमांक 149 को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रारूप नियम

अध्याय –1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2006 है .

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ कृषि –उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) ;

(2) "प्रशासनिक मंडी समिति" से अभिप्रेत है धारा 11 के अधीन गठित वह मंडी समिति जिसे धारा 32–क के अधीन विशेष अनुज्ञप्तिधारक मंडी कृत्यकारी के लिये घोषित विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि–उपज के विपणन पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार प्रदत्त है ;

(3) "अपर संचालक" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन नियुक्त किया छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अतिरिक्त संचालक ;

(4) "केन्द्र प्रभारी" से अभिप्रेत है विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि–उपज का उचित विनियमन तथा नियंत्रण करने के लिये प्रशासनिक मंडी समिति का सचिव या उप संचालक द्वारा पदस्थ किया गया अधिकारी/कर्मचारी ;

(5) "वाणिज्यिक संव्यवहार" से अभिप्रेत है ऐसा संव्यवहार, जो मंडी प्रांगण के भीतर या मंडी प्रांगण के बाहर, मंडी क्षेत्र के भीतर या मंडी क्षेत्र के बाहर, राज्य के भीतर या राज्य बाहर व्यापारी द्वारा कृषि उपज के उपभोक्ताओं को विक्रय, क्रय अनुषांगिक विक्रय–क्रय हेतु प्रसंस्करण, विक्रय हेतु भण्डारण के संबंध में हो जिसमें राज्य की किसी मंडी समिति को मंडी फीस का भुगतान पूर्व में ही कर दिया गया हो और मंडी फीस के भुगतान से संबंधित जानकारी विहित प्ररूप में संबंधित मंडी समिति को प्रस्तुत कर दी गई हो ;

(6) "उप संचालक" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का उप–संचालक ;

(7) "संचालक" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक ;

(8) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(9) "कदाचरण" से अभिप्रेत है राज्य सरकार, प्रबंध संचालक, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, उपसंचालक, मंडी समिति द्वारा भेजी गई जानकारी जानबूझकर प्राप्त नहीं करना या प्राप्त करने से इंकार करना या बोर्ड, प्रबंध संचालक या प्राधिकृत, मंडी समिति द्वारा जारी किये गये आदेश/निर्देश की अवेहलना करना या समय–सीमा में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत न करना या अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करना .

(10) "अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे इन नियमों के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकृत करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(11) "प्राथमिक संव्यवहार" से अभिप्रेत है किसी कृषक या व्यापारी द्वारा अधिसूचित कृषि उपज को विक्रय, क्रय भण्डारण या प्रसंस्करण के लिये प्रथम बार मंडी क्षेत्र में लाना, जिस पर कि किसी मंडी क्षेत्र में देय मंडी फीस वसूल न की गई हो, कृषि उपज के उत्पादक और व्यापारी के बीच प्रथम बार किया गया संव्यवहार, प्राथमिक संव्यवहार समझा जाएगा और उस कृषि–उपज पर मंडी फीस का भुगतान करने का उत्तरदायित्व क्रेता व्यापारी पर होगा।

(12) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा

(13) "द्वितीयक संव्यवहार" से अभिप्रेत है ऐसा संव्यवहार जो किसी मंडी प्रांगण या किसी मंडी क्षेत्र में नीलामी या सौदे द्वारा किसी अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय या क्रय के पश्चात् व्यापारी या एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को विक्रय या क्रय के पश्चात् व्यापारी या एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में हो ;

(14) "विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र" से अभिप्रेत है, मंडी समिति का ऐसा क्षेत्र, जिसे धारा 32–क के अधीन अनुज्ञप्ति धारक के लिये अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये घोषित किया गया है ;

(15) "विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र" से अभिप्रेत है, विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये स्थापित किया गया क्रय केन्द्र ;

(16) "विशेष अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, अधिसूचित कृषि–उपज का कारबार करने के लिये अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा धारा 32–क की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति ;

(17) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है ;

अध्याय –दो

3. अधिसूचित प्राधिकारी – (1) राज्य सरकार विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने, नवीकृत करने या देने से इंकार करने के प्रयोजन के लिये प्राधिकारी या अधिकारी अधिसूचित करेगी .

(2) व्यक्ति, जो धारा 32–क के अधीन एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि–उपज का कारबार करने का आशय रखता है, उसे अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी से विशेष अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना होगा :

परन्तु विशेष अनुज्ञप्ति केवल उसी व्यक्ति को एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि–उपज का कारबार करने के लिये उन शर्तों के अधीन दी जाएगी कि वह किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादकों से अधिसूचित कृषि उपज से कम 1,00,000 (एक लाख) टन क्रय करेगा .

अध्याय –तीन
विशेष अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना

4. अनुज्ञप्ति फीस – अनुज्ञप्ति फीस विहित आवेदन–पत्र के साथ संबंधित कृत्यों के लिये आवेदक द्वारा नीचे दिये गए अनुसार देय होगी –

(क)	व्यापारी / प्रसंस्करणकर्ता / आढ़तिया / सर्वेक्षक / भंडारणकर्मी / गोडाउनकीपर	रू. 2,00,000 / – (दो लाख रूपये)
(ख)	दलाल / परिवहनकर्ता	रू. 2,0,000 / – (बीस हजार रूपये)
(ग)	तुलइया / बीमस्केल द्वारा	रू. 5,000 / – (पांच हजार रूपये)
(घ)	तुलइया / इलेक्ट्रानिक तौल कांटाधारक / प्रचालक	रू. 10,000 / – (दस हजार रूपये)
(ङ.)	हम्माल	रू. 2,,000 / – (दो हजार रूपये)

5. अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन– (1) अधिनियम की धारा–31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति, जो एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में कार्य करने का इच्छुक है अनुज्ञप्ति के लिये नियम–3 के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी / अधिकारी को विहित प्ररूप–1 में आवेदन करेगा. आवेदन प्ररूप विहित फीस के भुगतान पर बोर्ड के मुख्यालय की भण्डार शाखा (स्टोर सेक्शन) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा .

(2) विहित अनुज्ञप्ति फीस का [illegible] बैंक ड्राफ्ट, जो एम.डी. छत्तीसगढ़ कृषि विपणन बोर्ड को देय हो, आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न किया जायेगा .

(3) आवेदक को आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :–

(एक) बैंक गारन्टी, जो आवेदक द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी / अधिकारी के पक्ष में हस्ताक्षरित प्रेषित हो .

(दो) एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु मंडी क्षेत्रों की सूची तथा उनका पृथक, अभिन्यास (ले–आउट), भण्डारण स्थल, गोदाम की क्षमता, कार्यालय का पता तथा प्रत्येक मंडी क्षेत्र में पदस्थ समस्त कर्मकारों की पदीय हैसियत के साथ उनका नाम / पिता का नाम .

(तीन) आवेदक व्यापारी / प्रसंस्करणकर्ता / आढ़तिया तथा उनके भागीदारों का नाम, मंडी क्षेत्र में उपलब्ध स्थावर सम्पत्ति के ब्यौरे और उससे संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति .

(चार) पिछले वर्ष के आयकर / वाणिज्यिकर के भुगतान संबंधी सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र, विवरणी (रिटर्न), बेलन्सशीट तथा पिछले वर्ष के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेंट की लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट की छायाप्रतियां .

(पांच) बैंक खातों की सत्यापित छायाप्रति के साथ विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में के बैंक खातों की सूची.

(छः) अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने हेतु उपलब्ध कार्यशील पूंजी/स्थायी निधि अंशपूजी की अद्यतन ब्योरे

(सात) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों की संबंधित मंडी समितियों के सचिव का अमांग/अनापत्ति प्रमाण-पत्र.

(आठ) प्ररूप-दो पर घोषणापत्र .

(नौ) नकद के रूप में बोर्ड की लेखा शाखा में जमा की गई प्रतिभूति की धन संबंधी रसीद (मनी रिसीट)/बैंक गारंटी .

6. विशेष अनुज्ञप्ति संबंधी प्रक्रिया – (1) अपूर्ण आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होंगे और कमियां/त्रुटियों को सात दिन की कालावधि के भीतर लिखित में आवेदक को सूचित किया जाएगा. यदि आवेदन-पत्र में दर्शित कमियों/त्रुटियां का आवेदक द्वारा 15 दिन के भीतर निराकरण नहीं किया जाता है तक ऐसा आवेदन-पत्र स्वमेव अस्वीकृत हो जाएगा तथा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा और कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी.

(2) अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र की संवीक्षा के पश्चात् संबंधित मंडी समितियों के सचिव तथा संभागीय उपसंचालक से उल्लिखित मंडी क्षेत्रों तथा क्रय केन्द्रों की ऐसी जांच, जो आवश्यक समझी जाए की जा सकेगी . अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी को विशेष अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन-पत्र से किसी मंडी क्षेत्र या क्रय केन्द्र को हटाने या उसे संशोधित करने की शक्ति होगी

(3) अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के 60 दिन की कालावधि के भीतर विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा या उसे नवीकृत कर सकेगा या लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसे नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा .

(4) विशेष अनुज्ञप्ति के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र की अस्वीकृति की दशा में अनुज्ञप्ति फीस और अन्य प्रतिभूति निक्षेप की रकम, 15 दिन के भीतर आवेदक को वापस कर दी जाएगी .

(5) प्रदान की गई विशेष अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में और क्रय केन्द्रों पर ही प्रभावी होगी . अन्य मंडी क्षेत्रों और उनके अन्य क्रय केन्द्रों में अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय-क्रय के नियमों का उल्लघंन माना जाएगा :

परन्तु विशेष अनुज्ञप्ति धारक/व्यापारी द्वारा विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के मंडी/उपमंडी प्रांगण में अधिसूचित कृषि-उपज का क्रय और वाणिज्यिक संव्यवहार के अधीन अधिसूचित कृषि-उपज का क्रय-विक्रय, मंडी के अन्य अनुज्ञप्तिधारक/व्यापारी के समान ही अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा . उपविधियों में विहित उपबंध ऐसे समस्त क्रय, विक्रय, प्रसंस्करण के लिये विशेष अनुज्ञप्ति के धारक पर समान रूप से लागू होंगे .

प्रतिभूति – अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी सदैव इस बात की जांच करेगा कि आवेदक उसके घोषणा प्ररूप में यथा उल्लिखित दैनिक क्रय क्षमता की मात्रा से परे अधिसूचित कृषि-उपज का क्रय नहीं करे और यदि अनुज्ञप्तिधारक, उसके द्वारा घोषित की गई सीमा से अधिक क्रय करता है तो अनुज्ञप्तिधारक, दैनिक क्रय क्षमता से अधिक के क्रय के लिये अतिरिक्त प्रतिभूति की रकम तुरन्त प्रस्तुत करेगा . अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह संबंधित विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में ऐसी कृषि उपज के क्रय तथा प्रेषण को प्रतिषिद्ध करे और वह संबंधित मंडी क्षेत्र के सचिव को ऐसे अनुज्ञप्तिधारक के अधिसूचित कृषि उपज के क्रय और प्रेषण को तुरन्त प्रतिषिद्ध करने का निदेश देगा .

परन्तु राज्य सरकार के उपक्रम के लिये एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये विशेष अनुज्ञप्ति के आवेदन–पत्र के साथ प्रतिभूति की रकम जमा करना आवश्यक नही होगा .

परन्तु यह और भी कि ऐसे उपक्रम के लिये विक्रेताओं को धारा 37 के उपबंधों के अधीन उनकी अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान करना आवश्यक होगा .

8. प्रतिभूति का निपटारा – (क) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा एफ.डी.आर. या बैंक गारण्टी के रूप में प्रतिभूति निक्षेप की रकम बैंक खाते में जमा रहेगी . यदि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा देय मंडी फीस और निराश्रित शुल्क का भुगतान नही किया गया है तो नियम 7 के अधीन एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी के रूप में बोर्ड में प्रतिभूति निक्षेप की शेष रकम आवेदक को, मांग की जाने पर, विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के सचिवों से अमांग/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर वापस की जाएगी .

(ख) यदि अनुज्ञप्तिधारक उसकी विशेष अनुज्ञप्ति को समर्पित करने की वांछा करता है तो अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी, उचित जांच के पश्चात जमा की गई प्रतिभूति रकम का प्रतिसंदाय करने या प्रतिसंदाय न करने या भागतः प्रतिसंदाय करने का विनिश्चय कर सकेगा. अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा अनुज्ञप्तिधारक पर बाध्यकारी होगा .

9. अनुज्ञप्ति की कालावधि – मूलतः विशेष अनुज्ञप्ति की कालावधि, उसको प्रदान करने की तारीख से 5 वर्ष की होगी, यदि अनुज्ञप्तिधारक–

(एक) अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमों तथा उपविधियों का उल्लंघन करता है, या

(दो) बोर्ड, प्रबंध संचालक और विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अधिसूचित अधिकारी/प्राधिकारी या मंडी समिति के सचिवों के निर्देशों का अवज्ञा करता है तो, अनुज्ञप्ति, उसका अवसान होने के पूर्व किसी भी समय सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निलम्बित या रद्द की जा सकेगी .

10. अनुज्ञप्ति जारी करना – अनुज्ञप्तिधारक कारबार के मुख्यालय की स्थापना पर अनुज्ञप्ति की मूल प्रति सहयोगी स्थापना और विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर उसकी अभिप्रमाणित फोटो–प्रति सम्प्रदर्शित करेगा . इसकी अभिप्रमाणित फोटोप्रति विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र की संबंधित मंडी समिति को भी प्रस्तुत की जायेगी.

11. विशेष, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण – (क) अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द किया जा सकेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारक –

(01) ने जानबूझकर, दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की है या उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति भंग कारित करता है या अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबंधनों या शर्तों का उल्लंघन करता है; या

(02) अन्य अनुज्ञप्तिधारकों के साथ मिलकर कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे किसी उपज़ का विपणन प्रविरत, स्थगित हो गया है या रूक गया है; या

(03) दिवालिया हो गया है; या

(04) नियमों और उपविधियों के अधीन न्यायालय, प्रबंध संचालक या मंडी समिति द्वारा दोषी साबित हो गया है; या

(05) किसी मंडी समिति, कृषकों, बोर्ड के हितों के विरूद्ध आचरण करता है; या

(06) अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अधीन कदाचार के लिये दोषी साबित किया गया है या

(07) 30 दिन की अधिकतम कालावधि के भीतर देय मंडी फीस, निराश्रित शुल्क का ब्याज के साथ भुगतान नहीं किया गया है; या

(08) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के किसानों/विक्रेताओं को उनसे क्रय की गई कृषि उपज का भुगतान विहित कालावधि के भीतर नहीं किया है; या

(09) नोटिस/मांग पत्र में उल्लिखित कालावधि के भीतर बोर्ड या प्रशासनिक मंडी समिति के पास देय रकम जमा न करते हुए भुगतान में व्यतिक्रम किया है; या

(10) विहित समय–सीमा के भीतर यथास्थिति बोर्ड या मंडी समिति के कार्यकाल में विहित नियत कालिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की है; या

(11) बोर्ड या मंडी समिति के हितों के विरूद्ध कार्य किया है; या

(12) अधिसूचित कृषि उपज की तुलाई या हम्माली के लिये अप्राधिकृत व्यक्तियों को लगाया है; या

(13) विक्रेता की कृषि उपज की तुलाई में अधिक तौलते हुये उसे हानि पहुंचाते हुए पाया गया है; या

(14) अधिसूचित कृषि उपज की यथा अपेक्षित न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय नहीं की है:

परन्तु किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित करने या रद्द करने के पूर्व अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर (कम से कम पंद्रह दिन) दिया जायेगा. यदि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विहित समय–सीमा के भीतर कारण बताओ सूचना का जवाब नहीं दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि अनुज्ञप्तिधारक कारण बताओ सूचना में दर्शित आरोपों से सहमत है और अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को एकपक्षीय विनिश्चय करने का अधिकार होगा.

(ख) कारण बताओ सूचना का जवाब प्राप्त होने पर, अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी द्वारा उसकी संवीक्षा की जाएगी. संवीक्षा और व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् यदि अनुज्ञप्ति निलंबित/नामंजूर की जाती है तो अनुज्ञप्ति को निलंबित/नामंजूर करने का आदेश, स्पष्ट कारणों को उल्लेखित करते हुए पारित किया जाएगा. पारित किये गये आदेशों की प्रति समस्त विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों के सचिवों तथा संभागीय उपसंचालक को अनुपालन के लिये भेजी जाएगी.

12. अनुज्ञप्ति के इंकार, नामंजूर या निलंबन की सूचना – अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण करने से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने के आदेश की सूचना संबंधित व्यक्ति को निम्नानुसार दी जाएगी :–

(क) व्यक्तिगत रूप से उसको ऐसे आदेश की एक प्रति परिदत्त करके ; या

(ख) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे आदेश की एक प्रति उसे भेजकर ;

अध्याय—चार

अपील

13. विशेष अनुज्ञप्ति को प्रदान करने से इंकार करने या विशेष अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा .

अध्याय—पांच

विशेष अनुज्ञप्ति के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय—क्रय की शर्तें

14. विक्रय—क्रय का स्थान — विशेष अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय—क्रय, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में और मंडी/उपमंडी तथा अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों पर ही किया जा सकेगा . परन्तु विशेष अनुज्ञप्ति के धारक पर भी नियम के उपनियम (5) के परन्तुक के उपबंध लागू होंगे .

15. करार का निष्पादन — (1) अनुज्ञप्तिधारक, विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के लिये विक्रेता के पक्ष में तीन प्रतियों में प्ररूप—5 में एक करार हस्ताक्षरित करते हुये निष्पादित करेगा . करार की एक प्रति क्रेता द्वारा प्रतिधारित की जाएगी, एक प्रति विक्रेता को दी जाएगी और शेष एक प्रति मंडी समिति के सचिव या उसके द्वारा पदस्थ केन्द्र प्रभारी को प्रस्तुत की जाएगी .

(2) करार के निष्पादन के पश्चात क्रेता व्यापारी, नाप और तौल विभाग द्वारा प्रमाणित और सत्यापित विद्युत तौल कांटे (वे ब्रिज) पर विक्रेता की कृषि उपज को तुलवाएगा.

(3) क्रेता द्वारा विक्रेता के पक्ष में प्ररूप—8 में एक विक्रय—वाउचर तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा और विक्रेता को उपज के मूल्य का देय भुगतान करते हुये करार के अनुसार उसके हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे .

16. भुगतान के संबंध में विक्रेता की शिकायतों का निपटारा— यदि विशेष अनुज्ञप्ति के धारक और विक्रेता के बीच क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की दर, तौल, मूल्य और/या भुगतान के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है तो संबंधित मंडी क्षेत्रों की मंडी समिति के सचिव को शिकायत प्रस्तुत की जाएगी तथा इसकी एक प्रति संभागीय उप—संचालक को दी जाएगी सचिव, प्रकरण की समुचित जांच के पश्चात् सात दिन की अवधि के भीतर शिकायत का निपटारा करेगा . किन्तु विक्रेता को भुगतान के संबंध में शिकायत होने की दशा में, सचिव तुरन्त कार्यवाही करेगा और प्रबंध संचालक तथा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को लिखित में तुरन्त सूचना देगा .

17. अनुज्ञप्तिधारक का कर्तव्य – विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर विशेष अनुज्ञप्तिधारक क्रेता व्यापारी –

(क) अधिसूचित कृषि उपज को तौलने के लिये अपेक्षा के अनुसार उचित और सही विद्युत तौल–कांटा (वे–ब्रिज) स्थापित करेगा . तौल–कांटे (वे–ब्रिज) का प्रचालक, मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारक होना चाहिए .

(ख) विक्रेताओं के लिये आवश्यक प्रसुविधाओं जैसे प्रकाश, शेड, पीने का पानी और बैठने/विश्राम करने के लिये उचित स्थान उपलब्ध कराएगा .

(ग) विक्रेता के लिये उपयुक्त भुगतान काउन्टर स्थापित करेगा .

(घ) कम से कम 3'x3' आकार का एक साइन–बोर्ड लगाएगा, जिसमें क्रय केन्द्र का नाम, अनुज्ञप्तिधारी फर्म का नाम, अनुज्ञप्ति क्रमांक और कारबार उल्लिखित किया जाएगा .

18. मंडी फीस की वसूली और उसका भुगतान – देय मंडी फीस का भुगतान, मंडी समिति के कार्यालय में जमा किया जाएगा और विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज के क्रय पर विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पावती प्राप्त की जाएगी.

19. अधिसूचित कृषि उपज का प्रेषण, विक्रय और प्रसंस्करण – विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में प्रत्येक क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य का विक्रेता को पूर्ण भुगतान करने और मंडी फीस और निराश्रित शुल्क का भुगतान मंडी समिति को करने के पश्चात ही अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय, प्रसंस्करण या प्रेषण, अधिसूचित कृषि उपज का प्रेषण करने के लिये विशेष अनुज्ञप्ति के धारक को धारा 19 की उपधारा (6) के उपबंधों तथा उपविधियों के अनुसार मंडी समिति द्वारा जारी अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करना होगा .

20. विशेष अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना –

(1) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा, विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के कारबार से संबंधित नियत कालिक विवरणियां, मंडी समिति, संभागीय उपसंचालक और बोर्ड के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी . अनुज्ञप्तिधारक, प्रबंध संचालक और अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा समय–समय पर यथा अपेक्षित समस्त अभिलेख और जानकारी प्रस्तुत करेगा .

(2) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के कारबार से संबंधित पाक्षिक विवरणियां प्रशासनिक मंडी समिति के सचिव को प्ररूप छह में प्रस्तुत की जाएगी . माह की एक तारीख से पन्द्रह तारीख की अवधि की विवरणी पच्चीस तारीख तक और सोलह तारीख से माह की समाप्ति तक की विवरणी आगामी माह के दसवें दिन तक प्रस्तुत की जाएंगी. यदि पाक्षिक विवरणी, विहित समय–सीमा में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो मंडी समिति सचिव/उपसंचालक द्वारा पदस्थ केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जायेंगे . समस्त अधिसूचित कृषि उपज के क्रय पर देय मंडी फीस का भुगतान किये बिना कृषि उपज का विक्रय, प्रेषण और प्रसंस्करण प्रतिषिद्ध रहेगा .

(3) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कारबार के पूर्ण ब्यौरे प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक मंडी के सचिव को प्रस्तुत किये जाएंगे .

(4) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि उपज के दैनिक क्रय के ब्यौरे, अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्ररूप–7 में एक रजिस्टर में रखे जाएंगे. अनुज्ञप्तिधारक, मंडी समिति द्वारा क्रय केन्द्र पर पदस्थ केन्द्र प्रभारी से रजिस्टर का निरीक्षण करवाएगा. विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र, अन्य मंडी क्षेत्रों और राज्य से बाहर कृषि उपज का क्रय और उसके ब्यौरे, उपबंध–1 के अनुसार होंगे और उपबंध–2 में यथा उपदर्शित विक्रय, प्रेषण के संबंध में पाक्षिक विवरणी, यथास्थिति, फर्म के अधिकारी या प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

प्ररूप—एक

(नियम 5 देखिए)

एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय—विक्रय, प्रसंस्करण के विनियमन हेतु अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

आवेदन पत्र क्रमांक....................

दिनांक ....

प्रति,

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी

....

....

1. आवेदक/फर्म का नाम तथा पता, जो मंडी क्षेत्र में कारबार करना चाहता है .

2. आवेदक का नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता
दूरभाष नं. ....

3. आवेदक के व्यक्ति से भिन्न होने की दशा में फर्म/ हिन्दू संयुक्त परिवार/कंपनी/सोसायटी, समस्त कार्यकर्ता/भागीदार/ संचालक के नाम एवं पूर्ण पते :

नाम	पिता का नाम	आयु	पता	दूरभाष नं.	पुलिस स्टेशन का नाम

4. यदि आवेदक फर्म कंपनी/सहकारी सोसायटी है तो पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक ....

5. गत वर्ष का अनुज्ञप्ति क्रमांक (यदि कोई हो)

6. आवेदक का वाणिज्यिक कर, पंजीयन क्रमांक एवं टीन नं. ....
केन्द्रीय वाणिज्यिक कर पंजीयन क्रमांक ....

7. आवेदक का आयकर स्थायी खाता क्रमांक (पेन नं.)
(छायाप्रति संलग्न करें) — छायाप्रति संलग्न है/नही

8. आवेदक का जिस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक

अनुक्रमांक	बैंक का नाम	खाते का प्रकार	खाता क्रमांक	खाते में आवेदन के दिनांक को जमा रकम	अभियुक्ति

(बैंक खातों में उपलब्ध निधि के प्रमाण हेतु शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित समस्त बैंक खातों की छायाप्रति संलग्न करें)

9. आवेदक, फर्म आदि द्वारा विनिधान की गई पूंजी (कृपया विवरण दें) :—

10. आवेदक द्वारा दर्शित उन मंडी क्षेत्रों का नाम, जिनमें कारबार प्रस्तावित है :-

अनुक्रमांक	दर्शित मंडी क्षेत्र का नाम	संबंधित मंडी समिति का नाम	दर्शित मंडी क्षेत्र में क्रय हेतु प्रस्तावित कृषि उपज की अनुमानित मात्रा [नियम 3 (2) देखिए]
(1)	(2)	(3)	(4)

11. दर्शित मंडी क्षेत्रों में आवेदक द्वारा प्रस्तावित क्रय केन्द्रों के नाम
[(अभिन्यास (ले-आउट) संलग्न करें]

अनुक्रमांक	दर्शित मंडी क्षेत्र का नाम	दर्शित प्रत्येक मंडी क्षेत्र में प्रस्तावित क्रय केन्द्रों का क. एवं नाम	क्रय केन्द्र प्रभारी, प्रबंधक का नाम, पता दूरभाष नं.	प्रस्तावित क्रय केन्द्र पर क्रय हेतु कृषि - उपज की अनुमानित मात्रा	प्रस्तावित उपज की अनुमानित बाजार मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

12. आवेदक की ओर से क्रय केन्द्र पर सुनिश्चित की गई सुविधाओं की जानकारी :-

(क) इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा

(ख) ताजे पेयजल की व्यवस्था

(ग) समुचित प्रकाश एवं शेड की व्यवस्था

(घ) भुगतान काउंटर, कार्यालय

(ङ.) अन्य सुविधायें जो उपलब्ध है :- (एक)

(दो)

(तीन)

विन्दु क. 11 में दर्शाये गये क्रय केन्द्र का अभिन्यास (ले–आउट), उपबंध गोदाम की संख्या एवं भंडारण क्षमता — (सूची संलग्न करें एवं गोदाम के स्वामी के नाम आदि की जानकारी देवें)

अनु.क.	क्रय केन्द्र का नाम	उपलब्ध गोदाम	गोदाम का स्थान	गोदाम के स्वामी के नाम	स्थान/स्थिति	भूमि आदि की विशिष्टियाँ भूमि, यदि उपलब्ध हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

14. विन्दु क्रमांक 10 एवं 11 के अनुसार अनुमोदित क्रय केन्द्रों पर गतवर्ष कुल कितनी मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज क्रय की गई — (सूची संलग्न करें) :

अनु. क.	मंडी का नाम	क्रय केन्द्र का नाम	क्रय की गई उपज की मात्रा	उपज का मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

15. आवेदक फर्म की ओर से सभी क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपजों के कारबार के लिए कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्तियों/सेवकों की सूची —

अनु.क.	नाम	पिता का नाम	पता	दूरभाष क्रमांक	आवंटित कार्य एवं दायित्व निर्धारण (किसी भी प्रकार के आवंटित कार्य मे परिवर्तन की दशा मे प्रशासनिक मंडी समिति को सूचना दी जायेगी।	फर्म कंपनी/सोसायटी में स्वामी/भागीदारी संचालक/प्रबंधक आदि पर्दाय हैसियत	हस्ताक्षर के नमूने (दो)
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

कंपनी/फर्म/सोसायटी के कारबार का प्रमुख स्थान, मुख्यालय, मुख्य कार्यालय एवं शाखाओं की सूची.

अनु.क.	कारबार का मुख्य स्थान	मुख्यालय/कार्यालय	शाखाओं के नाम/पते	शाखा प्रभारी का नाम,पता, दूरभाष क. कार्यालय/निवास	कार्यालय प्रमुख का नाम/पता/दूरभाष क. कार्यालय/निवास
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

17. क्या आवेदक एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मंडी/उपमंडी प्रांगणों में क्रय करना चाहता है ? यदि हो, तो :-

अनु.क.	मंडी समिति एवं मंडी/उपमंडी प्रांगण का नाम	मंडी/उपमंडी प्रांगण में उपलब्ध गोदाम/दुकान का विवरण
(1)	(2)	(3)

18. क्या आवेदक राज्य की किसी मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारक है या पूर्व में रहा है ? यदि हॉं तो विवरण देवें :-

अनु.क.	फर्म एवं मंडी समिति का नाम	अनुज्ञप्ति वर्ष	अनुज्ञप्ति का प्रकार	.... वर्ष में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की मात्रा एवं मूल्य	भुगतान की गई मंडी फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

19. (एक) क्या किसी मंडी समिति द्वारा पिछले पॉंच वर्षों में अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द की गई है ?

(दो) क्या मंडी समिति द्वारा कोई अधिरोपित की गई है ?
यदि हो तो कारण दे :-

20. अधिसूचित कृषि उपज के नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति अपेक्षित है,

21. आवेदक द्वारा दर्शित/विनिर्दिष्ट प्रत्येक केन्द्र पर क्रय की जाने वाले अधिसूचित कृषि उपज की कुल मात्रा – (अनुमानित)

अनुक्रमांक	मंडी क्षेत्र का नाम	अधिसूचित कृषि उपज की प्रस्तावित क्रय मात्रा
(1)	(2)	(3)

22. मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है, मैं/हम उनका समुचित पालन करूंगा/करेंगे तथा वे मुझे/हम स्वीकार्य है,

निवेदन है कि वर्ष .... के लिए, अनुज्ञप्ति फीस रू. .... तथा प्रतिभूति रू. .... स्वीकार कर दर्शित/विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में कारबार करने हेतु 1 अप्रैल .... से 31 मार्च .... वर्ष के लिए विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कृपा करें।

आवेदक के हस्ताक्षर तथा
मुद्रा
(पदीय हैसियत सहित)

घोषणा

मैं/हम आवेदक, एतद् द्वारा, निष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ/करते हैं कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत उपर्युक्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सत्य हैं तथा सही अभिलिखित की गई हैं और कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है।

2. आवेदक ने छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि, नियमावली भली – भांति पढ़ लिए हैं, उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुए ही अधिसूचित कृषि उपज का कारबार किया जायेगा।

3. आवेदक के विरूद्ध अधिसूचित कृषि उपज का विक्रेताओं को देय भुगतान या मंडी समिति को देय मंडी फीस के भुगतान के संबंध में कोई मामला मंडी समिति या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नही है।

4. अधिनियम, नियम, उपविधि, नियमावली में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन किए जाने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी।

5. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि बोर्ड या मंडी समिति द्वारा जारी किए गये आदेशों / निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

6. आवेदक, अनुज्ञप्ति के लिये निहित आवश्यक समस्त फीस एवं आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है।

संलग्नक : 1. ....
2. ....
3. ....

स्थान :
दिनांक : भागीदारो / संचालको के हस्ताक्षर

कार्यालय के उपयोग हेतु

1. कुल रूपये .... पैसे .... (शब्दों में) (रूपये ....) धन रसीद कमांक .... दिनांक .... के अनुसार प्राप्त किए और अनुज्ञप्ति रजिस्ट्रर में अनुकमांक .... पर प्रविष्टि की गई.

(लिपिक) (लेखापाल)

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लेखा वहियों का खाते (लेजर) से सत्यापन विनिर्दिष्ट मंडी समिति द्वारा कर लिया गया है एवं संपूर्ण वर्ष के लिए आवेदक द्वारा किए गए कयों के मूल्यों पर .... मंडी फीस और रू. .... निराश्रित शुल्क जाम करा दिया गया है, आवेदक ने वित्तीय वर्ष .... के लिए विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रो में कय हेतु अधिसूचित कृषि उपज के एक दिन के अधिकतम कय के मूल्य की अनुपातिक समतुल्य राशि रू. .... की सावधि जमा रसीद / बेंक गारंटी निम्नानुसार प्रस्तुत कर दी है :–

(क) रूपये .... के लिए सावधि जमा रसीद / बेंक गारंटी कमांक .... बेंक का नाम ....
(ख) बेंक गारंटी रूपये .... बेंक का नाम ....

(लेखापाल) (सहायक सचिव) (सचिव)

3. विशेष अनुज्ञप्ति अस्वीकृत किये जाने के संबंध में जारी आदेश का क / दि.

या

स्वीकृत की स्थिति में अनुज्ञप्ति कमांक ....

संबंधित सहायक अधिसूचित प्राधिकारी / अधिकारी

प्ररूप —दो
घोषणा — पत्र
(नियम 5 देखिए)

मैं/हम, एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में कृषि उपजों के क्रय हेतु मेरे/हमारे द्वारा स्थापित सभी क्रय केन्द्रों की अधिसूचित कृषि उपज की अधिकतम दैनिक क्रय क्षमता .... क्विंटल/गांठे है तथा एक दिन के क्रय का अधिकतम मूल्य .... रूपये है।

2. मैं/हम, यह भी वचन देता हूँ/देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विक्रेता को धारा 37 के शर्तों के अधीन उसी दिन किया जायेगा।

3. मैं/हम, यह भी वचन देता हूँ/देते हैं कि धारा 37 की शर्तों की उल्लंघन की दशा में छठवें दिन धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी और मुझे/हमें या हमारे किसी भी नातेदार को आगामी एक वर्ष तक कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जायेगी और ऐसा होने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

4. मेरे/हमारे द्वारा यह भी वचन दिया जाता है कि मैं/हम घोषित मात्रा से अधिक मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज का क्रय नहीं करूँगा/करेंगे, यदि मेरे/हमारे घोषित क्षमता से अधिक मात्रा का क्रय किया जाता है अथवा यदि मेरी/हमारे द्वारा क्रय क्षमता में वृद्धि के अनुपात में ट्रस्ट/प्रतिभूति की अतिरिक्त रकम की सावधि जमा (एफ.डी.आर.) एवं या बैंक गारंटी बोर्ड के पक्ष में तत्काल प्रस्तुत की जायेगी।

5. मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार दिए गए वचन और अधिनियम, नियम तथा उपविधियों उपबंधों का मेरे/हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो प्रशासनिक मंडी समिति एवं अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को मेरी/हमारी अनुज्ञप्ति रद्द करने देने का अधिकार होगा, जिसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

6. मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे नाम पर आवेदन पत्र के दिनांक को निम्नलिखित जंगम/स्थावर/संपत्ति उपलब्ध है जिस पर मेरा/हमारा विधिक स्वामित्व है :—

1. जंगम संपत्ति	बैंक का नाम	खाता क्रमांक	जमा रकम
(क) चालू (करंट) खाते में जमा रकम —			
(ख) बचत खाते में जमा रकम —			
(ग) सावधि (फिक्स) में जमा —			
(घ) अन्य जमा रकम —			
योग :			

2. स्थावर संपत्ति	स्थान	क्षेत्रफल	अनुमानित बाजार मूल्य
(क) भूमि			
(ख) भवन/दुकान/कारखाना/गोदाम			
(ग) अन्य संपत्ति			
योग :			

मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार दिया गया घोषणा पत्र पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है।

स्थान :
दिनांक :

व्यक्ति के हस्ताक्षर
का नाम, पदाधिनान/
हैसियत/पूरा पता

कार्यालय, अधिसूचित प्राधिकारी, अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड
बीज भवन, (भू-तल), रविग्राम, तेलीबांधा, जी.ई.रोड, रायपुर

प्ररूप – तीन
(नियम 2 देखिए)

एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार के लिये विशेष अनुज्ञप्ति,

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स फर्म (पूरा पता).. को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में उल्लेखित अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु (दिनांक) ....को विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

अनु.क.	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति/समितियों के नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमो. क्रय केन्द्रो के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2. यह विशेष अनुज्ञप्ति दिनांक .... से दिनांक 31 मार्च ....तक प्रभावशील रहेगी परंतु अधिनियम, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उपबंधो के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

3. यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी :–

(1) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर
(2) मंडी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के उपबंधो के अनुसार एवं दी गई समयावधि में न करने पर।
(3) मंडी फीस का अपवंचन करने, जाली अनुज्ञा पत्र रसीदें या अन्य जाली मंडी अभिलेखो का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना या कराया जाना पाये जाने पर,
(4) मंडी समितियों या बोर्ड के देय रकम का सूचना पत्र के अनुसार समय सीमा के भीतर भुगतान न कर व्यतिक्रमी पाये जाने पर,
(5) अधिनियम, नियमों एवं उपविधियां द्वारा नियम समय सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने पर,
(6) बोर्ड,मंडी समिति से जारी निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

स्थान :
दिनांक :

( )
अधिसूचित प्राधिकारी, अधिकारी

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
कार्यालय की मुहर

प्ररूप — चार
(नियम दो देखिए)
व्यक्तिगत प्रतिभूति के संबंध में प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र, पत्नी, पुत्री श्री .... फर्म/कंपनी/सोसायटी.............................. निम्नानुसार विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में व्यापारी के रूप में कार्य करना चाहता/चाहती है और इस प्रयोजन के लिए वह एतद् द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी आवेदन कर रहा/रही है :—

क्रमांक	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र की मंडी समिति का नाम
(1)	(2)
[illegible]	[illegible]

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ दर्शित, विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के लिए किए जाने वाले क्रय केन्द्रों की सूची संलग्न की गई है :—

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा .... रुपये के लिए दृस्ट/प्रतिभूति के रूप में अधिसूचित कृषि उपज के एक दिन के क्रय के अधिकतम मूल्य .... रुपये के लिए दैनिक क्रय क्षमता से संबंधित .... जिला .... पर बोर्ड के पक्ष में बनाई गई सावधि जमा/बैंक गारंटी के .... दी गई है, जैसा कि प्रारूप छह (आर) में लेखित किया गया है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विक्रेताओं को उसी दिन नहीं किया जाता है तो मंडी समिति के पक्ष में बनवाई गई उपरोक्तानुसार सावधि जमा (एफ.डी.आर.) से भी विक्रेता को देय राशि का भुगतान करने की शक्ति प्रशासनिक मंडी समिति के सचिव में निहित होगी.

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सावधि, जमा बैंक गारंटी द्वारा राशि जमा करने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा क्रय की जाने वाली कृषि उपज के भुगतान की कोई जोखिम विक्रेताओं की नहीं है।

स्थान :
दिनांक :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
पदनाम/हैसियत

प्ररूप – पाँच
(नियम 15 देखिए)

करार प्रारूप

एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु विशेष अनुज्ञप्ति से संबंधित

विशेष अनुज्ञप्तिधारक क्रेता/व्यापारी फर्म का नाम ....विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक ....
करार प्रारूप क्रमांक .... जारी करने का दिनांक ....

1. विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम ....क्रय केन्द्र का नाम ....
2. विक्रेता का नाम .... पता ....
3. कृषि उपज का नाम ....प्रकार (यदि कोई हो) ....अनुमानित मात्रा बोरे/गांठे ....
4. करार के अनुसार दर/प्रति क्विंटल गांठ रू. ....

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता व्यापारी, फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर ....
नाम ....

करार प्रारूप में उल्लेखित कृषि उपज का वास्तविक वजन/मात्रा

1. स्टकिंग 2. बोरे/गांठो की संख्या 3. कुल वजन/मात्रा
(वजन/मात्रा शब्दों में .... तुलैया/प्रचालक के हस्ताक्षर)

शर्तें :-

(1) करार किया गया है कि ऊपर उल्लेखित कृषि उपज के लिये क्रेता क्रय करने हेतु एवं विक्रेता विक्रय करने के लिए आबद्ध है, क्रेता द्वारा सीधे विक्रेता की कृषि उपज को लेने से इंकार नहीं किया जायेगा, लेने से इंकार करने पर उपविधियों के उपबंधों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगा। करार का उल्लंघन करने पर क्रेता को अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द करने के दायित्वधीन होगी।

(2) करार के अनुसार कृषि उपज के तौल के दिन ही क्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान किया जायेगा। उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में आगामी दिन से एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पाँच दिन में विक्रेता को अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

(3) उसी दिन भुगतान प्राप्त नहीं होने की दशा में विक्रेता मंडी समिति को सूचित करेगा। पाँच दिन के पश्चात शिकायत दर्ज नहीं की जायेगी।

प्ररूप छह (आर–1)

(नियम 20 का उपनियमन 2 देखिये)

अधिसूचित कृषि उपज/उपजों का क्रय

अनुज्ञप्तिधारक फर्म/व्यापारी का नाम .... अनुज्ञप्ति क्रमांक ....

(प्रतिवेदन की अवधि दिनांक .... से दिनांक ....तक)

क्र.	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम	कृषि उपज का नाम	पखवाड़े (फोर्टनाइट) का प्रारंभिक स्टॉक	मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण से क्रय		क्रय केन्द्रों पर क्रय		विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में बिलों से क्रय		मंडी क्षेत्र के बाहर से अनुज्ञा पत्र से क्रय		राज्य के बाहर से बिलों से क्रय		कुल क्रय (5+7+9+11+13)		विक्रय के लिये उपलब्ध स्टॉक (4+15)
			वजन/मात्रा	वजन/मात्रा	मूल्य	वजन/मात्रा	मूल्य	वजन/मात्रा	मूल्य	वजन/मात्रा	मूल्य	वजन/मात्रा	मूल्य	वजन/मात्रा	मूल्य	वजन/मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

देय मंडी फीस		चुकाई गई मंडी फीस के रूप में क्रय		जमा की गई मंडी फीस		निर्गमन, उपयोग, विक्रय हेतु				पखवाड़े में कुल विक्रय/निर्गमन/वजन/मात्रा	पखवाड़े के दौरान शेष स्टॉक वजन/मात्रा
वजन/मात्रा जिस पर मंडी फीस देय है	मूल्य जिस पर मंडी फीस देय है	वजन/मात्रा जिस पर मंडी फीस का भुगतान हो चुका है	मूल्य जिस पर मंडी फीस का भुगतान हो चुका है	राशि (रुपये)	रसीद क्र./दि.	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में से व्यापारियों को बिलो से विक्रय	प्रसंस्करण हेतु निजी उपयोग/निर्गमन/विक्रय	मंडी क्षेत्र के बाहर अनुज्ञा पत्रों से विक्रय	राज्य के बाहर अनुज्ञा पत्रों से विक्रय		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

नोट :- (1) कॉलम 9,11,13 के संबंध में विक्रेता व्यापारी का नाम, पता, बिल क्रमांक, दिनांक, कृषि उपज का नाम, वजन/मात्रा, योग सहित सूची अनावश्यक रूप से संलग्न करनी हो।

(2) कॉलम नं. 24, 25, 26 एवं 27 के संबंध में :–

(क) मंडी क्षेत्र के भीतर स्थानीय विक्रय की सूची, जिसमें क्रेता व्यापारी का नाम, व्यापारी फर्म द्वारा जारी बिल क्र. दिनांक एवं मात्रा का योग, तथा

(ख) मंडी क्षेत्र या राज्य के बाहर निर्गमन/विक्रय के संबंध में अनुज्ञा-पत्र/बिल क्र., दिनांक, क्रेता व्यापारी का नाम, स्थान एवं मात्रा, योग, सहित

अनिवार्य रूप से संलग्न की जाती है, इसके बिना प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा प्रस्तुत की गई जानकारी अपूर्ण मानी जायेगी जो नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन कार्यवाही का कारण होगी।

(3) कॉलम नं. 25 के संबंध में प्रसंस्करण हेतु निजी उपयोग की दशा में प्रसंस्करण पंजी की सत्यापित छायाप्रति भी उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी फर्म के पास उपलब्ध प्रमाणित, सत्य तथा सही लेखाओं एवं दस्तावेजों पर आधारित है। जाँच/मिलान कर दी गई है एवं पूर्ण रूप से सही है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर व्यापारी/फर्म, प्रतिनिधि ....

नाम ....

पदनाम ....

प्ररूप – सात

(नियम 20 का उप–नियम (4) देखिए)

विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में क्रय केन्द्र पर दैनिक क्रय की पंजी

विशेष अनुज्ञप्तिधारक का नाम .... क्रय केन्द्र का नाम ....
दिनांक ....
क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम ....पद/हैसियत ....

अनुक्र.	क्रेता का नाम	पता	क्रय की गई उपज का का नाम	मात्रा/वजन	दर(रु)	कृषि उपज का मूल्य (रू.)	भुगतान की गई राशि (रू.)	विक्रय का क्र./दि.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्रशास. मंडी समिति को विक्रय वाउचर प्रस्तुत करने का दिनांक	इस वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती दिवस तक क्रय केन्द्र पर क्रय की गई कृषि उपज की मात्रा	इस वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती दिवस तक क्रय केन्द्र पर क्रय की गई कृषि उपज का मूल्य
(10)	(11)	(12)

हस्ताक्षर प्रबंधक/क्रय केन्द्र का प्रभारी
नाम ....
पदनाम/हैसियत ....

प्ररूप — आठ
(नियम 15 का उपनियम (3) देखिए)

विक्रय वाउचर

विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य का भुगतान
(धारा 37 की उपधारा (2) एवं नियम 15 (3) देखियें)

बुक क्रमांक .... विक्रय वाउचर क्रमांक .... जारी करने का दिनांक ....

1. क्रेता व्यापारी का नाम .... मंडी क्षेत्र का नाम .... क्रय केन्द्र का नाम ....

2. विक्रेता का नाम .... पता ....

3. निष्पादित करार प्रारूप क्रमांक ....

कृषि उपज का नाम	करार प्रारूप के अनुसार तौल के पश्चात् वास्तविक वजन/मात्रा	करार प्रारूप के अनुसार दर (रू)	कृषि उपज का मूल्य	विलंब से भुगतान की दशा में अतिरिक्त भुगतान (रू.)	उपविधियों के अनुसार वसूल की गई हम्माली/तुलाई की राशि (रू)	विक्रेता को किया गया शुद्ध भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(क्रेता/व्यापारी/फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर) (विक्रेता का हस्ताक्षर)

नोट :— धारा 37 की उपधारा (2) की अधीन विक्रेता को उसी दिन भुगतान करना आवश्यक है तथा विलंब की स्थिति में धारा 37 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) अधीन मूल्य को एक प्रतिशत् प्रतिदिन की दर से क्रेता द्वारा अतिरिक्त भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा।

उपाबंध – 1

(व्यापारी फर्म का नाम)

विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में, अन्य मंडी क्षेत्र एवं राज्य के बाहर से अधिसूचित कृषि उपज, उपजों का क्रय

(पाक्षिक रिपोर्ट – प्रारूप – साल के कॉलम 2,3,4,5 के संबंध में)

अनुक्र.	क्रय की गई कृषि उपज का नाम	क्रय की गई मात्रा, वजन	उपज का मूल्य	विक्रेता व्यापारी का नाम, जिसने, उपज का विक्रय किया	स्थान	बिल/अनुज्ञा पत्र/क्र.	बिल/अनुज्ञा पत्र/दि.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी व्यापारी फर्म के लेखाओं तथा दस्तावेजों पर आधारित है और सम्यक रूप से जाँच कर ली गई है तथा सही है।

दिनांक : ....

फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....

उपाबंध – 2

(व्यापारी फर्म का नाम)

विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में, अन्य मंडी क्षेत्र एवं राज्य के बाहर से अधिसूचित कृषि उपज, उपजों का क्रय

(कॉलम 5,7,9,11 एवं 13 के विक्रय, निर्गमन के संदर्भ में)

अनुक्र.	कृषि उपज का नाम	क्रेता व्यापारी का नाम, जिसको उपज का विक्रय किया गया	स्थान	जारी किये बिल का	दिनांक	उपज की मात्रा	उपज का मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी व्यापारी फर्म के लेखाओं तथा दस्तावेजों पर आधारित है और सम्यक रूप से जाँच कर ली गई है तथा सही है।

दिनांक : ....

फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2006

क्रमांक/5197/209/2006/14-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्या अधिसूचना दिनांक 11-12-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

Raipur, the 11th December 2006

NOTIFICATION

No.5195/209/2006/14-3.—The following draft rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973) are hereby published as required by sub section (1) of Section of 79 of the Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the draft rules will be taken into consideration after expiry of one month from the date of the publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Secretary Government of Chhattisgarh Agriculture Department, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur, Room Number 149 from any person which in respect to the draft before expiry of the aforesaid specified period during office hours shall be considered by the State Government.

DRAFT RULES

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and Commencement - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Special Licence for more than one market areas) Rules, 2006.

(2) They shall come in to force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Definitions – In these rules, unless the context otherwise requires :-

(1) "Act" means Chhattisgarh Krishi Upaj Manid Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

(2) "Administrative Market Committee" means the market committee constituted under section 11 which has been vested full power to control the marketing of notified agricultural produce in the declared specified market area for special licence holder market functionary under section 32-A ;

(3) "Additional Director" means Additional Director of the Chhattisgarh State Agricultural Marketing Board appointed under the Act.

(4) "Centre in Charge" means the Secretary of the Administrative market committee or the officer/employee posted by the Deputy Director, for proper regulation and control of notified agricultural produce at the purchase center of specified market area ;

(5) "Commercial transaction" means any transaction made by traders for sale, purchase, processing for ancillary sale, purchase, storage or sale to consumers of agricultural produce within the market yard or out of market yard within the market or out of market area, within the state or out of the State, in which the payment of market fees has already been made to any market committee of the State and information pertaining to payment of market fees has been submitted to concerned market committee in prescribed form .

(6) "Deputy Director" means Deputy Director of the Chhattisgarh State Agricultural Marketing Board appointed under the Act.

(7) "Director" means the "Managing Director" of the Chhattisgarh State Agriculture Marketing Board appointed under the Act.

(8) "Form" means a form appended to these rules ;

(9) "Misconducts" means will fully not to receive or refuse to receive, information sent by State Government Managing Director, Collector or authorized officer, Deputy Director, market committee or disobey, the order/direction issued by Board, Managing Director or the authorized officer, market committee or non-submission or required information in the time limit or submission of incomplete of incorrect information ;

(10) "Notified authority of officer" means such authority or officer as may be notified by the State Government to grant of renew the special licence under these rules ;

(11) "Primary transaction" means the bringing of the notified agricultural produce by any farmer or trader in the area for the first time for sale-purchase, storage, or processing on which due market fees has not recovered in any market area. The transaction made between producer of the agricultural produce and the first time will be deemed to be the primary transaction and the responsibility to make the payment of market fees on that agricultural produce shall be on the purchaser trader ;

(12) "Section" means a section of the Act of the Agriculture Department ;

(13) "Secondary transaction" means transaction made in connection with commercial transactions by traders of agency for sale to consumers after sale or purchase of any notified agricultural produce in market yard or any market area by auction or bargain and the payment of fee on such notified agricultural produce has already been made to market committee of the area in such form as prescribed in the bye-laws ;

(14) "Specified market area" means such area of the market committee which has been declared for business of notified agricultural produce for the licence holder under section 32-A ;

(15) "Specified purchase center" means the purchase center established by the licence holder in the specified market area for the business of the notified agricultural produce ;

(16) "Specified Licence" means the licence issued by notified authority or officer under sub-section (2) of section 32-A for the business of notified agricultural produce ;

(17) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER - II

3. **Notified authority** - (1) The State Government shall notify the Authority or Officer for the purpose of granting, renewing or refusing to grant the special licence.

(2) The person, who intends to do business of the notified agricultural produce in more than one market areas under Section 32 -A, shall have to obtain special licence from the notified authority/ officer.

Provided that the special licence will be granted only to the person for doing the business of notified agricultural produce in more than one market areas under the conditions, that he will purchase at least 100000 (one lac) tonnes of notified agricultural produce from the producers in a financial year.

CHAPTER - III
ISSUE OF SPEICAL LICENCE

4. **Licence Fees** - The licence fee as under shall be payable by the applicant for the concerned function along with the prescribed application :-

(a)	Trader/Processor/Commission Agent/Surveyor/Warehouseman/ Godown Keeper	Rs. 2,00,000/- (Rupees two lakhs)
(b)	Broker/Transporter	Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand)
(c)	Weighman/ by Beam Scale	Rs. 5000/- (Rupees five thousand)
(d)	Weighman/ Electronic Weighbridge Holder/ Operator	Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand)
(e)	Hammal	Rs. 2,000/- (Rupees two thousand)

5. **Application for Licence** - (1) Every person specified in Section 31 of the Act who wishes to operate in more than one market areas shall apply in the prescribed form - I to the notified authority/ officer under rule 3 for licence. Application Form will be provided by store section of the Board (Head Quarter) on payment of prescribed fee.

(2) The crossed Bank Draft of prescribed licence fee which is payable to M.D.Chhatisgarh Agriculural Marketing Board, Raipur shall be enclosed with the application form.

(3) The Applicant shall necessarily enclose the following documents with the application:-

(i) Bank Guarantee, which is signed/ committed by applicant in favour of notified authority/officer.

(ii) The list of the market areas for purchase of notified agricultural produce in more than one market areas and their separate layout, storage site, capacity of the godown, address of the office and the name/ father's name of all the workers posted in every market area along with their official capacity;

(iii) Name of the applicant trader/ processor/commission agent and their-partner, particulars of immovable property available in the market areas and the attested photo copy of the documents relating thereto;

(iv) Certificate of the competent authority regarding payment of income tax/ commercial tax of last year. The photo copies of the returns, balance sheet and audit reports of the accounts of Chartered Accountant for the last year;

(v) List of the Bank Accounts in the specified market areas along with verified photo copy of the Bank Accounts ;

(vi) Particulars of up-to-date available working capital/permanent fund/ share capital for doing business of notified agricultural produce;

(vii) No dues/ No objection certificate of the Secretary of the concerned market committees of the specified market areas;

(viii) Declaration on Form - II;

(ix) Money Receipt of security deposited in the accounts section of the Board in the form of cash/bank guarantee.

6. **Procedure regarding special licence :-** (1) Incomplete application will not be accepted and the short comings/defects will be informed to the applicant in writing within the period of seven days. If the short comings/defects shown in the application are not removed within 15 days by the applicant, then such application will automatically be rejected and no further action will be taken by the notified authority/officer.

(2) After scrutiny of the application received, for special licence by the notified authority/ officer, such inquiry may be made as is deemed necessary regarding mentioned market areas and purchase centres from Secretary of concerned market committees and divisional Deputy Director. The notified authority or officer shall have power to delete or amend any market area or purchase centre from the application for special licence.

(3) The notified authority/officer may grant or renew the special licence within the period of 60 days of receipt of application or may refuse to grant or renew the licence for the reasons to be recorded in writing.

(4) In case of non-acceptance of application received for special licence, the licence fees and the amount of other security deposit, will be refunded to the applicant within 15 days.

(5) Special Licence granted will be effective only in the market areas and on purchase centres specified in the licence, sale-purchase of notified agricultural produce in other market areas and on other purchase centres, will be treated as contravention of rules:

Provided that the purchase of notified agricultural produce in the market/ sub market yards of the specified market area by the special Licence holder/trader and the purchase sale of notified produce under commercial-transaction may be made, like other licence holder trader of the market, under the provisions of the Act, rules and bye-laws. The provisions prescribed in the bye-laws will be equally applicable on the holder of special licence for all such purchase , sale processing.

7. **Security :-** The notified authority/ officer will always examine that the applicant does not purchase notified agricultural produce beyond the value of the daily purchase capacity as mentioned in his declaration form and if the licence holder purchases more that the limit declared by him, then the licence holder for the excess of purchase over and above the daily purchase capacity, will produce the amount of additional security immediately. The notified authority/ officer will have the power to prohibit the purchase and dispatch of such produce in the concerned specified market areas and direct the Secretary of the concerned market area to prohibit immediately the purchase and dispatch of the notified agricultural produce of the such licence holder.

Provided that it will not be necessary, for the undertaking of the State Government, to deposit amount of security with the application for special licence to do business of notified agricultural produce, in more than one market areas.

Provided further that it will be necessary for such undertaking to make payment of notified agricultural produce to sellers of their agricultural produce under the provisions of Section 37.

Disposal of the Security (a) The amount of security in the form of FDR or Bank Guarantee by the licence holder will remain deposited in the Board account. If the payment of the due market fees and Nirashrit Shulk is not made by the licence holder, then due payment from balance amount of the FDR/Bank Guarantee and Security given under Rule 7, will be recovered along with the interest by the notified Authority/ officer. The remaining amount of security deposit in the board as Cash, FDR or Bank Guarantee will be refunded to the applicant on demand on receipt of No Dues/ No Objections Certificate, from the Secretaries of the specified market area.

(b) If the licence holder desires to surrender his special licence, then the notified authirity/ officer after proper inquiry may take decision to refund or not to refund or to refund partly, the security amount deposited. The decision of the notified authority/officer will be final and binding on the licence holder.

9. **Period of Licence** :- Originally the period of special licence will be five years from the date of its grant. If the licence holder :-

(i) Contravenes the provisions of the Act, rules and bye-laws framed there under, or
(ii) disobey the directions of the board, Managing Director and the notified authority/ officer or the Secretary of market committee of the specified area.

The licence may be suspended or cancelled at any time before its expiry after giving the opportunity of being heard.

10. **Issurance of Licence** :- The licence holder will display the original copy of the licence at the establishment of head quarter of the business and attested photocopy there of on the associated establishment and purchase center of the specified market area. The attested photocopy of it will also be submitted to the market committee concerned of the specified market area.

11. **Suspension or cancellation of special licence** :- (a) The special licence may be suspended or cancelled by the notified authority or officer, if the licence holder :-

(1) has obtained licence through wilful mis-representation or fraud; or any person acting on his behalf, commits a breach or contravenes any of the terms or conditions of the licence; or
(2) in combination with other licence holders commits any act by which the marketing of any produce has been abstained, suspended or stopped; or
(3) has become insolvent; or
(4) has been proved guilty by the court, Managing Director or the Mandi Committee under the rules any by-laws; or
(5) behaves against the interest of any market committee, farmers, Board; or
(6) has been proved guilty for misconduct under this act, rules and by-laws; or
(7) has not made payment of due market fees, Nirashrit Shulk within the maximum period of 30 days along with the interest ;or

(8) has not made payment to the farmer/selllers, of the specified market area of the agricultural produce purchased from them within the prescribed period:or

(9) has made default in payment by not depositing due amount with the Board or the administrative market committee within the period mentioned in the notice/ demand note; or

(10) has not submitted prescribed periodical returns in the Board or office of the market committee, as the case may be within the prescribed time limit ;or

(11) has acted against the interest of Board or the market committee;or

(12) has engaged unauthorized persons for weighment Hammal of notified agricultural produce; or

(13) has been found involved in getting more weighed in the wighment of the agricultural produce of the seller putting him to loss ;or

(14) has not purchased minimum prescribed quantity of notified agricultural produce as required.

Provided that before suspending or canceling any licence, reasonable opportunity (at least 15 days) of being heard will be given to licence holder by the notified authority/ officer. If within the prescribed time limit the reply of the show-cause notice is not given by the licence holder, it will be deemed that the licenece holder has agreed with the charges shown in the show-cause notice and the notified authority/ officer will have the power to take ex-part decision.

(b) On receipt of the reply of show-cause notice, it will be scrutinized by the notified authority/ officer. After scrutiny and personal hearing, if licence is suspended/rejected then the order to suspend/reject the licence will be passed specified reasons thereon. The copy of the order passed will be sent to the secretaries of all specified market areas and also to the divisional Deputy Director for compliance.

12. Information of refusal, rejection or suspension of licence :- Information of order to refuse to grant/renew the special licence or suspend or cancel the licence by the notified authority/ officer will be given to concerned person by :-

(a) delivering a copy of such order to him personally; or

(b) sending to him a copy of order by registered post.

CHAPTER - IV

APPEAL

13. Any person aggrieved by order of refusal to grant special licence or suspension/ cancellation of special licence, may prefer an appeal, to the State Government, within 30 days from the date of receipt of order, and the order passed by the State Government , after giving reasonable opportunity of being heard, will be final.

CHAPTER - V

CONDITIONS OF SALE PURCHASES OF NOTIFIED AGRICULTURAL PRODUCE UNDER SPECIAL LICENCE

14. **Place of Sale-Purchase :-** Sale, Purchase of notified agricultural produce may be made in more than one market areas by the holder of special licence only in the market areas specified in the licence and in the market/ sub-market yards, and at the purchase centres specified in the licence provided that the provisions of provision of sub-rule (5) of rule 6 will be applicable on the holder of special licence also as well.

15. **Execution of Agreement** - (1) The liecence holder will execute, by singing as agreement in Form-V in triplicate in favour of the seller for the purchase of notified agricultural produce at the purchase centre in the specified market area. One copy of the agreement will be retained by the purchaser, one copy will be given to seller and remaining one copy will be submitted to the Secretary of market committee or the centre in charge posted by him.

    (2) After execution of agreement the purchaser trader will get the agricultural produce of the seller weighed on the electronic weigh bridge, certified and verified by the weigh Measure Department.

    (3) The sale-voucher in triplicate will be prepared by the purchaser in form-VIII favour of the seller and by making due payment of value of the produce to the seller, his signature will be obtained as per agreement.

16. **Disposal of complaints of seller regarding payment** - If any dispute arises between the holder of the special licence and the seller regarding rates, weigh, value and/or payment of purchased notified agriculture produce, then a complaint will be submitted to the Secretary of the market committee of the concerned market areas and its copy will be given to the Divisional Deputy Director. After proper inquiry of the case, the Secretary will dispose of the complaint within the period of seven days, but in case the complaint partains to the payment of seller, the Secretary will immediately take action and inform forthwith to the Managing Director and the notified authority/ officer in writing.

17. **Duty of Licence holder :-** The purchaser trader, holding special licence, at the purchase centres of the specified market area, shall :-

    (a) establish proper and correct electronic weighbridge as per requirement for the weighment of notified agricultural produce. The operator of the weighbridge should be licence holder of the market committee;

    (b) make available necessary facilities such as light, shed drinking water and proper for sitting/ rest for the sellers;

    (c) establish proper payment counter for sellers;

    (d) fix at least a 3' x 3' size sign board in which the name of purchase centre, name of the licence holder firm, licence number and business shall be mentioned.

18. **Recovery of market fees and its payment** - The payment of the due market fees, will be deposited in the office of the market committee and receipt shall be obtained by the holder of the special licence, on the purchase of every notified agricultural produce in the specified market areas.

19. Dispatch, Sale, Processing of notified agricultural produce - Only after making full payment of the value of notified agricultural produce purchased at every purchased centre in the specified market area, to the seller and making payment of market fees and Nirashrit Shulk to the market committee, the sale, processing or dispatch of notified agricultural produce will be made by the licence holder. For dispatch of the agricultural produce the holder or the special licence will have to obtain permit issued by the market committee as per provisions of sub-section (6) of Section 19 and the bye-laws.

20. Submission of returns by the holder of special licence - (1) Periodical returns pertaining to business of notified agricultural produce, purchased in the specified market areas, will be submitted by the licence holder in the office of market committee, Divisional Deputy Director and the Board. The licence holder submit all records and information, required by the Managing Director and notified authority/officer from time to time.

(2) The fort nightly returns regarding business of notified agricultural produce will be submitted by the licence holder to the Secretary of the administrative market committee in form - VI. Returns for the period from first to fifteenth upto 25th from seeteenth to the end of the month will be submitted upto tenth day of the next month. If fort nightly return if not submitted in the prescribed time limit, then the permits will not be issued by the centre in charge, posted by the Secretary of the market committee/ Deputy Director. Without making payment of due market fees on purchase of all notified agricultural produce, the sale, dispatch and the processing of agricultural produce will be prohibited.

(3) On the end of every financial year, complete details of business from April to thirty first March will be submitted by the licence holder to the Secretary of market committee upto 30th day of April every year.

(4) The particulars of daily purchases of the notified agricultural produce at purchase centre of the specified market area will be maintained by the licence holder in a register in form. No. VII. The licence holder shall get the register incepted by the centre in-charge posted at the purchase centre by the market committee. The purchase of agricultural produce in the specified market area, other market areas and from outside the state and details there of shall be according to Annexure - I and the fort nightly return regarding sale/ dispatch as indicated in Annexure - II, shall be singed by the officer or representatives of the firm as the case may be.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRATAP KRIDUTT, Deputy Secretary.

FORM - I

(See Rule 5)

Application for Licence for Regulation of Sale, Purchases, Processing of notified Agricultural Produce in more than one Market Areas.

Application No. ------------------------------
Date --

To,

The Notified Authority/Officer
-----------------------------------,
----

1. Name of the Applicant/Firm, Address who/which desires to do business in market areas.
2. Name of the Applicant, Father's Name and Full Address.:
   Telephone No.
3. The Applicant is other than the Individual, then name and address of the firm/Hindu undivided family/company/names of all the workers/partners/directors and full address.

Name	Father' Name	Age	Address	Telephone No.	Name of the Police Station
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. If the applicant firm is a company or is a co-operative society, then the registration No. & date.
5. Previous year's Licence No. (If any)
6. Applicant's Commercial Tax No. & TIN No. Central Commercial Tax Registration No.
7. Applicant's Permanent Account No. of Income Tax (PAN) (Please enclose Photo copy) Photo copy enclosed - yes/no
8. Name and Account No. of Bank in which the applicant has account.

S.No.	Name of the Bank	Type of Account	Account. No	On the date of Application deposit amount in the account	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(Please enclose verified photo copy of all Bank Account to certify the available fund in bank account by the Branch Manager)

9. Capital invested by the applicant, firm etc. (Please give details)

10. Name of the market areas shown by the applicant in which business is proposed.

S.No.	Name of the Market Area shown	Name of the concerned market committee	Estimated Quantity of proposed agricultural produce for purchase in the market area shown [see Rule 3 (2)]
(1)	(2)	(3)	(4)

11. Name of the purchase centres proposed by the Applicant in the shown market area (Please enclose the lay out)

S.No.	Name of the Market Area shown	No. and the name of the proposed purchase centres in every market area shown	Name of the purchase centre In-charge manager add. Telephone No.	Estimated quantity of agricultural produce for purchase at the proposed purchase centre.	Estimated market value of proposed produce
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

12. Information of facilities ensured at the purchase centre from the applicant

(a) Electronic Weighbridge.
(b) Arrangement of Fresh Drinking Water.
(c) Arrangement of sufficient Light & Shed.
(d) Payment Counter/Office.
(e) Other facilities which are available (one)
(two)
(Three)

13. Layout of the purchase centre shown in Form No. 11, of Godown available and storage capacity (Please enclose list and give information of the name, ect. of the owner of the godown)

S.No.	Name of the Purchase centre	Available godown	Place of the godown	Name of the owner of godown	Place/ position	Particulars of the land. etc, if the land is available
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

14. How much quantity or notified agricultural produce purchase last year at the approved purchase centres as per Point No. 10 & 11 (Enclose the list)

S.No.	Name of the Market	Name of the Purchase centre	Quantity of the agricultural produce purchased	Value of the produce
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

15. List of the persons/servants authorised to work for the business of notified agricultural produce at all the purchase centres from the applicant firm.

S.No.	Name	Father's name	Address	Telephone No.	Allotted work and fixing of responsibility (In case of any change in the allotted work, the information will be giver to the administrative market comiittee)	Designation capacity in the Firm/ company/ society as owner/ partnership/ Director/ Manager etc.	Specimen signatures (two)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

16. List of the main place of business, head office, main officer and branches, of the company/firm/ society.

S.No.	Main Place of business	Head Quarter office	Name/Address of branches	Name of branch in-charge, address telephone No. Officer/Residence	Name of Head of the office, address Telephone No. Office/Residence.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

17. Does the Applicant wish to purchase in the specified market/sub-market yards of more than one market areas. If yes, then

S.No.	Name of the market committee and the market/sub-market yard	Particulars of godown/shop available in market/sub-market yard
(1)	(2)	(3)

18. Is or has been in past, the applicant a licence holder of any market committee of the State ? if Yes, then give details :-

S.No.	Name of the firm and the market committee	Licence Year	Type of the Licence	Quantity and value of the notified agricultural produce purchased last year in -------------------	Market fee paid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

19. (One) Has the Licence been suspended or cancelled during the past five years by any market committee ?
(Two) has any Penalty been imposed by market committee ? If Yes, then give reason :-

20. Names of notified agricultural produce for the business of which Licence is required.

21. Total (estimated) quantity of the notified agricultural produce to be purchased at every purchase centre, shown/specified by the applicant:

S.No.	Name of the market area	Proposed purchase quantity of the notified agricultural produce
(1)	(2)	(3)

22. I/We declare that I/We have read and understood the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, rules and bye-laws framed there under. I/We will adequately comply with them and they will be acceptable to me/us.

It is requested that by accepting Licence fee amounting Rs. ---------------- and Security Rs. ----------------------------for the year ------------------------ SPECIAL LICENCE for doing business in the shown/ specified market area may kindly be provided for the year 1st April -------------------- to 31st march ---------------------.

Place ---------------------------
Date ---------------------------

Signature of the Applicant and Seal
(including designating capacity)

DECLARATION

I/We, the applicant hereby solemnly declare that the information submitted above in the application is true to the best of my/our knowledge and belief and has correctly been recorded and no information is concealed.

2. The applicant has properly read the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam rules, bye-laws, manual, By complying with the arrangements provided in them business notified agricultural produce will be undertaken.

3. No case is pending before the market committee or any court pertaining to the payment of notified agricultural produce due to the sellers or market fee due to the market committee.

4. Licence provided to the applicant will be liable to be suspended or cancelled on contravention of the arrangements provided in the Act, rules bye-laws, manual.

5. The applicant assures that the orders/directions issued by the Board or the market committee will be fully complied with.

6. The applicant is submitting all the prescribed necessary fees and documents enclosed with the application for licence.

Enclosure : 1. ------------------------
2. ------------------------
3. ------------------------

Place :
Date :

Signature of Partners/Directors

For office use only

1. Received total Rupees --------------- Paise -------------- (in words Rupees) -------- ------------------------------- as per the Money Receipt No. ---------------dated -------------------- and entered in Licence Register at Serial No. ---------------------------------

(Clerk) (Accountant)

2. The verification of account books produced by the applicant for ------------------- has been made with the Ledger by the specified market committee and the market fees rupees ------- --------------------- and Nirashrit Shulk Rs. ------------------------- has been got deposited on the value of purchases made by the applicant for the whole year.

For the financial year ---------------------- the applicant has submitted as below the FDP/ Bank Guarantee for Rs. ----------------------- being the proportionate equivalent amount for the value of a single day maximum purchase of the proposed notified agricultural produce in the specified market areas for purchase :-

(a) FDP/Bank Guarantee No. ------- Name of the Bank ------------------- for Rs. ------
(b) Bank Guarantee for Rs. ---------- Name of the Bank ------------------------------------

(Accountant) (Asstt. Secretary) (Secretary)

3. No./Date of the order issued regarding rejection of special licence

OR

In case of grant, Licence No. -------------------------------------

Dealing Assistant Notified Authority/Officer

FORM - II
(See rule - 5)
DECLARATION

I/We, hereby declare that the daily maximum purchasing capacity of notified agricultural produce of all the purchase centre(s) established by me/us in the specified market area is ---------------- Quintals/bales, all the maximum value of purchase of a single day is Rupees ----------------------------------.

2. I/We also undertake that the full payment of the notified agricultural produce, purchased by me/us at the purchase centre, will be made on the same day under the conditions of Section 37.

3. I/We also undertake that in the event of contravention of condition of Section 37, on the sixth day my/our licence will automatically stand cancelled under clause (c) of sub-section (2) of section 37 and for next one year no licence will be granted to me/us or to any of relatives under this Act and on being so I/We no objection.

4. It is also undertake by me/us that I/We will not purchase notified agricultural produce more than the quantity declared. If the quantity more than the declared capacity is purchased by me/us purchase capacity is increased, then FDR and/or Bank Guarantee of the additional amount of trust/security in production to the increase in purchase capacity will be submitted in favour of Board, immediately.

5. I/We undertaken that, in case the undertaking given as above and the provisions of the Act, rules and the laws are contravened by me/us then the administrative market committee and the notified authority/officer will have power to cancel my/our licence in which I/We do not have any objection.

6. I/We also declare that on the date of application following movable immovable property are available on my/our name on which my/our ownership are legal :-

1.	Movable Property	Name of the Bank	Account Number	Deposit Amount
(a)	Deposit Amount in Current Account (s)			
(b)	Deposit Amount is Saving Account (s)			
(c)	Amount in Fixed Deposit.			
(d)	Other Deposit amount			
	Total			

2. Immovable Property — Place — Area — Estimated Market Value
(a) Land
(b) Building/Shop/Factory/Godown
(c) Other Property

I/We hereby declare this also, that the undertaking given above by me/us is fully correct and certified.

Place :
Date :

Signature of the Authorised person
Name of the applicant
Designation/Capacity
Full Address

OFFICE OF THE NOTIFIED AUTHORITY/OFFICER
CHHATTISGARH STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
"BEEJ BHAVAN", RAVI GRAM, INFRONT OF CHHATTISGARH HOTEL, TELIBANDHA, RAIPUR

FORM - III
(See rule 2)
SPECIAL LICENCE
FOR BUSINESS OF NOTIFIED AGRICULTURAL PRODUCE IN MORE THAN ONE MARKET AREAS.

1. Shri/Smt/Kum/Messers/Firm (Full Address) -- has/have been granted the special licence on (dated) ---------------- for business of the mentioned notified agricultural produce in more than one market areas noted below under Section 32-A of the Act :-

S.No.	Name of the Special market area in which the licence is granted for business	Name of the concerned market committee/ committees	Name of the approved purchase centres under the specified market area	Place of the business address of the officer	Name designation and address of the head of officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2. This special licence will be effective from the date -------------------- to 31st March, ------------- but on contravention of provisions of the Act, rules and the bye-laws framed there under it may be suspended or cancelled at any time.

3. This licenece may be suspended or cancelled on the following main grounds.

(1) On not making due payment of agricultural produce to the farmers in the specified market area.
(2) On not making payment of the market fees, Nirashrit Shulk as per provisions and within the given time limit under the Act, rules and bye-laws.
(3) On having found evading the market fees maintaining the forged permit, receipts or other forged market records and produce or got produced forged documents.
(4) On having found defaulter by not making payment of amount due to the market committees or the Board as per notice within the time limit.
(5) On not producing the prescribed periodical returns within the time limit fixed by the Act, rule and bye-laws.
(6) On having found disobeying the directions issued from the board, market committee.

Place :
Date :
Seal of the Office
of Issuing Licence

( )
Notified Authority/Officer

FORM 0 IV
(See rule II)
CERTIFICATE RGARDING INDIVIDUAL SECURITY

It is certified that Shri/Smt/Kum-- Son/Wife/Daughter of Shri -- Firm/Company/Society wishes to function as trader in the specified market area as under and for this purpose he/she/it is hereby applying to the notified authority/officer.

S.No. (1)	Name of the Market committee of the specified market area (2)

1. List of the purchase centre to be established has been enclosed with the application for purchase of the notified agricultural produce, in the shown/specified market areas by the applicant.
2. It is also certified that the FDR/Bank Guarantee No. ---------------------------- prepared in favour of Board at -------------------- District --------------------- has been given, as declared in Form VI(R) pertaining to the daily purchase capacity by me/us of maximum value Rs. ------------ of a signle day purchase of notified agricultural produce, on trust/security for Rs.----------------------- In case of contravention of provisions of section 34, the FDR/Bank Guarantee deposited as trust/security may be use by the notified Authority/Officer at any time making payment to the through the secretary of the administrative market committee.
3. It is also certified that if the full payment of notified agricultural produce purchased at the purchase centre is not made to the sellers on the same day be the applicant, then the power will vest with the Secretary of the administrative market committee to make payment of due amount to the seller from the FDR also, prepared as above in favour of the market committee.
4. It is also certified that as a result of deposit of amount by above FDR/Bank Guarantee.Sellers do not have risk of payment of his agricultural produce to be purchased by the applicant.

Place : Signature of authorised person
Date : Name of applicant

Designation/Capacity

FORM -V
(See rule - 15)
AGREEMENT FORM
Pertaining to special Licence for Purchase of Certified Agricultural produce in more than one market area

Name of the Purchaser trader/firm holding Special Licence ------------------------ Special Licence No. ------------------------- Agreement Form No. -------------------- Issue Date -------------------

1. Name of the specified market area ----------------- Name of the purchase centre ----------------
2. Name of Seller----------------------------Address --
3. Name of Agriculture Produce ----------------------------Type (If any) ------------------------------
   Estimated Quantity Bags/Bales --
4. Rates as per agreement/Rate per Quintal/Bale Rs. --

Signature of Seller

Signature of authorised representative
of purchaser, Trader firm -----------------
Name ---------------------------------------

Actual weigh/quantity of agricultural produce mentioned in agreement form.

1. Stuffing 2. No of Bags/Bales 3. Total Weight/Quantity

(Weight/Quantity is words ---------------------------Signature of Weighmen/Operator)

Conditions- (1) Agreement is made that for the agricultural produce mentioned above, the purchasers bound to purchase and the seller is bound to sell, Denial will not be made to accept the agricultural produce of the seller directly, by the Purchaser. In case of denial to accept, action will be taken under the provisions of bye-laws. The licence of the Purchaser will be liable to be suspended or cancelled, on contravention of the agreement.

(2) On the same day of weighment, the payment of the agricultural produce, will be made to the seller as per agreement. In case the payment is not made on the same day, from the next day, at the rate of one percent, per day additional payment will be made to the seller within five days.

(3) In case the payment is not received on the same day, the seller will inform the market committee. After five days the complaint will not be entertained.

FORM - VI (R-1)
(See sub-rule (2)/ of rule 20)
PURCHASE OF NOTIFIED AGRICULTURAL PRODUCE (S)

Name of the Licence Holder Firm/Trader ---------------------------Licence No. ------------
(Period of report, from (date) ------------------- to (date) --------------------------------

S.No. (1)	Name of the Specified market area (2)	Name of the Ariculturál Produce (3)	Opening Stock of the fortnight Wt/Qty. (4)

In the fortnight from different sources

Purchase from market/sub market yard		Purchase at purchase centers		Purchase in specified market area		Purchase from out of market area on permits		Purchase from out of the state on bills		Total Pur. (5+7+9+11+13)	
Wt./Qty/ (5)	Value (6)	Wt./Qty (7)	Value (8)	Wt./Qty (9)	Value (10)	Wt./Qty (11)	Value (12)	Wt./Qty (13)	Value (14)	Wt./Qty (15)	Value (16)

Stock available for sale (4+15) Wt/Qty.	Due Market Fees		Purchased as Market Fees paid		Market Fees Deposited	
	Wt./Qty. on which market fees is due	Value on which market fees is due	Wt./Qty on which market fees has been paid	Value on which market fees has been paid	Amount (Rs.)	Receipt No/Date
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

For Dispatch/Use sale					
Sale on bills to Traders in/to specified market area	Own use for Processing Dispatch/ Sale	Sale/dispatch on permits out of market area	Sale on permits out of the State	Total Sale/ dispatch during the fortnight Wt/Qty (24+25+26+27)	Balance stock during the fortnight Wt/Qty (17-28)
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)

Note :- 1. For Column No. 9,11,13 list pertaining to the Name, Address, bill No. name of the Agricultural Produce, Weight/Quantity including total, of seller Trader will have to be enclosed necessarily.

2. Regarding Column No. 24, 25, 26 & 27 :-

(a) The list of Local sale within the market area in which Name of purchaser trader, Bill No. Date and total of quantity issued by Trader firm, and

(b) Permit No./Bill No. date, Name of Purchaser trader, Place and quantity including total regarding dispatch/sales out of the market area or the State.

be enclosed compulsorily, without if the report will not be accepted and the information submitted will be treated to be incomplete which will be the reason for taking action under sub-rule (2) of rule 20.

3. To enclose a verified photocopy of the processing register with report as above is also necessary in the case of own use for processing regarding Column 25.

It is certified that above information is based on the certified, true and correct accounts and documents available with the firm and is given by scrutiny/ reconciliation is fully correct.

Place :
Date :

Signature of the Trader/Representative of the Firm
Name --
Designation --

FORM - VII

(See sub-rule (4) of rule 20)

REGISTER OF DAILY PURCHASE AT THE PURCHASE CENTER IN THE SPECIFIED MARKET AREA

Name of the holder of special licence -------------------- Name of purchase center ----------------

Date ----------------------------

Name of the In-charge of the purchase center ------------------Designation/capacity ----------------

S.No.	Name of Purchaser	Address	Name of the produce purchased	Qty./Wt.	Rate (Rupees)	Value of the Agricul. produce	Amt.paid (Rupees)
1.	2	3	4	5	6	7	8

No. and date of sale voucher	Date of the submission of sale voucher to the Administrative market committee	Qty of the Agricul. produce purchased at the purchase center during the year till previous day	Value of the Agricultural produce purchased at the purchase center during the year, till previous day
9	10	11	12

Signature of Manager/In-charge of Purchase center

Name --

Designation/capacity --------------------------

FORM - VIII

(See sub-rule (3) of rule 15)

Sale Voucher

PAYMENT OF VALUE OF NOTIFIED AGRICULTURE PRODUCE PURCHASED IN THE SPECIFIED MARKET AREAS

[see sub section (2) of section 37 & sub rule (3) of 15]

Book No. ---------------- Sale voucher No.---------------- Date of issue --------------

1. Name of the purchaser trader ------------ Name of the market area. ---------------
   Name of the Purchase center --------------
2. Name of the Seller ----------------------Address ---------------------------------
3. Executed agreement form No. -------------------------

Name of Agricultural Produce	Actual Qty/ wt. after weighment as per agreement form	Rate, as per agreement form (Rs.)	Value of the Agricul. produce	Additional. payment in case of delay pay.	amount. of hammali/ weighment recovered as per buylaws	net payment. maid to the seller
1	2	3	4	5	6	7

(Signature of the Trader/Representative of the Firm) Signature of seller

Note :- It is necessary to maid payment to the seller on the same day under sub section (2) of section 37 and in case of delay, @ 1% per day of the value, additional payment will have to be maid necessarily by the purchaser under clause (b) of sub section (2) of Section 37.

ANNEXURE - 1

(Name of the Trader firm)

PURCHASE OF ARICULTURAL PRODUCE IN THE SPECIFIED MARKET AREA OTHER MARKET AREAS AND FROM OUT SIDE THE STATE.

(Concerned with column No. 2, 3, 4, 5 of form vi - fortnightly report)

S.No.	Name of Agricultural produce purchased	Purchased Qt/weight./	value of produce	Name of the seller trader who sold the produce	place	Bill/ permit No.	Date of the Bill/ permit
1	2	3	4	5	6	7	8

Certified that the information given above is based on the accounts and documents of the trader firm duly examined and is correct.

Date : ----------------------------

Signature of Representative of Firm
Name --
Designation/capacity ------------------------------

ANNEXURE - 2

(Name of the Trader firm)

FORTHIGHTLY RETURN REGARDING SALE/ DISPATCH OF NOTIFIED AGRICULTURAL PRODUCE FROM SPECIFIED MARKET AREA.

(In reference to column No. 5, 7, 9, 11 and 13 of sale/dispatch)

S.No.	Name of Agricultural produce	Name of the purchaser / trader to whom the produce is sold	Place	Issued Bill No.	Date	Qty of the produce	value of the produce
1	2	3		5	6	7	8

Certified that the information given above is based on the accounts and documents of the trader firm duly examined and is correct.

Date : ---------------------------

Signature of Representative --------------------
Name --
Designation -------------------------------------

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.